संख्या-305/2026/I/1410291/2026/001/23-6/27/2026

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 27 जुलाई, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत लखनऊ क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 25 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो0नि0वि0, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत लखनऊ क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 25 सेतुओं के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू0 834.65 लाख (रूपये आठ करोड चौतीस लाख पैसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सेतु विंग) का पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	आवंटन धनराशि		
								अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	23606/CE-SEB/RYB/LKO/2026-27 Dt- 08-07-2026	नि.ख.-3 खीरी	जनपद लखीमपुर खीरी में विधानसभा गोला के अन्तर्गत बिजुआ से रामनगर कलां सम्पर्क मार्ग के किमी0-2 में क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 3x3.00 मी0 स्पान के बाक्स कल्वर्ट का कार्य।	65/2026/आई/1259752/2026/23-6099/71/2026-दिनांक-09-03-2026	82.89 82.89 0.60 82.29	1.05	81.24	5.66	1.52	7.18
2	तदैव	नि.ख.-3 खीरी	जनपद लखीमपुर खीरी में एस0डी0एन0 पी0डी0पी0 (राज्य मार्ग सं0-101) के किमी0-57 से दौलतापुर सम्पर्क मार्ग के किमी0-3 में स्थित घाघी नाले पर क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 3x16x50 मी0 स्पॉन का लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	79/2026/आई/1264134/2026/23-6099/40/2026-दिनांक-12-03-2026	427.49 427.49 1.05 426.44	5.01	421.43	29.65	7.98	37.63
3	तदैव	नि.ख.-3 खीरी	जनपद लखीमपुर खीरी में एस0डी0एन0 पी0डी0पी0 (राज्य मार्ग सं0-101) के किमी0-56 से कोलाफार्म सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 में स्थित घाघी नाले पर क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 3x16x50 मी0 स्पॉन का लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	79/2026/आई/1264134/2026/23-6099/40/2026-दिनांक-12-03-2026	427.32 427.32 1.63 425.69	5.01	420.68	29.59	7.97	37.56
4	तदैव	नि.ख.-3 खीरी	जनपद लखीमपुर खीरी में नौंगवा से चौरी सम्पर्क मार्ग किमी0-3 में स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3x5.00 मी0 स्पॉन की बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	79/2026/आई/1264134/2026/23-6099/40/2026-दिनांक-12-03-2026	124.38 124.38 5.53 118.85	1.53	117.32	23.64	6.36	30.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5	तदैव	नि.ख.-3 खीरी	जनपद लखीमपुर खीरी में पटिहन अम्बेडकरनगर से मुसाफिरनगर गुरद्वारा जाने वाले मार्ग पर 6x5.00 मी0 स्पान की बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	79/2026/आई/1264134/2026/23-6099/40/2026-दिनांक-12-03-2026	444.93 444.93 59.13 385.80	5.61	380.19	25.98	6.99	32.97
6	तदैव	नि.ख.-3 खीरी	रुरा सुल्तानपुर सम्पर्क मार्ग किमी0-2 में स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3x5.00 मी0 स्पान की बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	104/2026/आई/1270841/2026/23-6099/101/2026-दिनांक-18-03-2026	123.58 123.58 7.77 115.81	1.57	114.24	7.89	2.12	10.01
7	तदैव	नि.ख.-3 खीरी	परसपुर लगदहन बाजपुर सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-6 में क्षतिग्रस्त रपटा पुल के स्थान पर 5×5.00 मी0 स्पान की बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	145/2026/आई/1280196/2026/23-6099/92/2026-दिनांक-25-03-2026	216.91 216.91 17.04 199.87	2.72	197.15	13.61	3.66	17.27
8	तदैव	नि.ख.-3 खीरी	कोरियाना सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-1 में स्थानीय नाले की संकरी एवं क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3x5.00 मी0 स्पान का लघु सेतु (बॉक्स कल्वर्ट) पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	145/2026/आई/1280196/2026/23-6099/92/2026-दिनांक--25-03-2026	131.67 131.67 1.20 130.47	1.65	128.82	8.98	2.42	11.40
9	तदैव	प्रा.ख. खीरी	मुरासा सम्पर्क मार्ग के किमी०- 1 में 6×3 मीटर स्पान के लघु सेतु (6-3×3 आर. सी. सी. बाक्स कल्वर्ट) का निर्माण कार्य।	391/2025/आई/1184713/2025/23-6099/179/2025-दिनांक-23-12-2025	120.77 120.77 26.97 93.80	25.38	68.42	39.97	10.76	50.73
10	तदैव	प्रा.ख. खीरी	घुमरा मडेरा सम्पर्क मार्ग के मध्य नाले पर 3×5 मीटर स्पान के लघु सेतु (3×5 ×3 आर.सी.सी. बाक्स कल्वर्ट) का निर्माण कार्य।	391/2025/आई/1184713/2025/23-6099/179/2025-दिनांक-23-12-2025	106.97 106.97 23.35 83.62	23.48	60.14	35.46	9.54	45.00
11	तदैव	प्रा.ख. खीरी	जी०एस० मार्ग (राज्य मार्ग सं0-93) के किमी0-41 से सहिजना वाया खन्देवरा मार्ग के किमी0-2 से बरौला सम्पर्क मार्ग पर 5×4 मीटर स्पान के आर सी०सी कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	391/2025/आई/1184713/2025/23-6099/179/2025-दिनांक-23-12-2025	134.44 134.44 16.39 118.05	7.22	110.83	43.28	11.65	54.93
12	तदैव	प्रा.ख. खीरी	पचदेवरा सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 में मौजूदा क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 1x6.00 मीटर स्पान की आर0सी0सी0 कल्वर्ट का कार्य।	104/2026/आई/1270841/2026/23-6099/101/2026-दिनांक-18-03-2026	95.32 95.32 18.49 76.83	0.02	76.81	41.74	11.23	52.97
13	तदैव	नि.ख. सीतापुर	जनपद सीतापुर में पुराने सीतापुर को घण्टाघर से जोड़ने वाले पुराने जर्जर पुल के स्थान पर 3x10 मी लघु सेतु का निर्माण कार्य।	330/2025/आई/11377131/2025/23-6099/193/2025-दिनांक-10-11-2025	460.98 460.98 22.54 438.44	130.49	307.95	47.27	12.73	60.00
14	तदैव	नि.ख. सीतापुर	छोटी मिश्रिख परिक्रमा मार्ग पर 2×5.00 मी० स्पान आर०सी०सी० लघु सेतु का निर्माण कार्य।	391/2025/आई/1184713/2025/23-6099/179/2025-दिनांक-23-12-2025	122.75 122.75 0.02 122.73	13.02	109.71	27.58	7.42	35.00
15	तदैव	नि.ख. सीतापुर	जनपद सीतापुर में तरणताल से पक्कापुल होते हुए सिटी स्टेशन रोड के मध्य सरायं नदी पर 3x18.75 मी0 लघु सेतु का निर्माण कार्य।	95/2026/आई/1269924/2026/23-6099/68/2026-दिनांक-17-03-2026	711.10 711.10 2.01 709.09	8.50	700.59	51.21	13.79	65.00
16	तदैव	नि.ख. सीतापुर	बर्मी महसुनिया वजीरनगर मार्ग पर 2X5.00 मी0 स्पान आर0सी0सी0 लघु सेतु का निर्माण कार्य।	145/2026/आई/1280196/2026/23-6099/92/2026-दिनांक-25-03-2026	136.39 136.39 0.12 136.27	1.65	134.62	28.36	7.64	36.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

17	तदैव	नि.ख.-1 सीतापुर	नेरी सिधौली-महमूदाबाद मार्ग के कि0मी0-79 में स्थित क्षतिग्रस्त 1x6 आर०सी०सी० स्लैब पलिया के स्थान पर 2x3x3 आर०सी०सी० बॉक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य।	302/2025/आई/1127658/2025/23-6099/172/2025-दिनांक-30-10-2025	88.38 88.38 0.43 87.95	44.19	43.76	15.76	4.24	20.00
18	तदैव	नि.ख.-1 सीतापुर	जनपद सीतापुर में सतनापुर मानपुर महाराजनगर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0-22 में क्षतिग्रस्त 3x3 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया के स्थान पर 3x3x3 के बॉक्स कलवर्ट के निर्माण का कार्य।	79/2026/आई/1264134/2026/23-6099/40/2026-दिनांक-12-03-2026	99.66 99.66 0.35 99.31	1.75	97.56	7.88	2.12	10.00
19	तदैव	नि.ख.-4 सीतापुर	जनपद सीतापुर में विकास खण्ड एलिया में भेलाया गोडया सम्पर्क मार्ग पर पिरई नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	50/2023/1449/23-10-22-12 (सेतु)/22 -दिनांक-07-02-2023	558.28 558.28 0.19 558.09	542.09	16.00	12.61	3.39	16.00
20	तदैव	नि.ख.-1 हरदोई	जनपद हरदोई में हरदोई साण्डी मार्ग से साण्डी देहात मार्ग में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3x3x3मी0 स्पान की आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	81/2026/आई/1263890/2026/23-6099/70/2026-दिनांक-12-03-2026	70.68 70.68 3.29 67.39	0.66	66.73	27.58	7.42	35.00
21	तदैव	नि.ख.-1 हरदोई	साण्डी शाहाबाद मार्ग (एम0डी0आर0-107सी0) किमी0-12 में 3X6 मी0 स्पान का आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	100/2026/आई/2024743/2026/23-6099/91/2026-दिनांक-18-03-2026	202.42 202.42 1.13 201.29	2.52	198.77	66.97	18.03	85.00
22	तदैव	नि.ख.-1 रायबरेली	भानुमऊ से टिकटमुसल्लेपुर उसरी एल.आर. तक लघु पुल का पुनः निर्माण। इस्सौर ड्रेन पर	391/2025/आई/1184713/2025/23-6099/179/2025-दिनांक-23-12-2025	109.77 105.22 .08 105.14	74.88	30.26	15.76	4.24	20.00
23	तदैव	नि.ख.-1 रायबरेली	चंदौली सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-2 में स्थित इस्सौर नाले पर क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 4x4 मी० स्पान आर०सी०सी० बॉक्स लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य।	02/2026/आई/1192587/2026/23-6099/239/2025-दिनांक-01-01-2026	99.41 96.24 .37 95.87	63.70	32.17	15.76	4.24	20.00
24	तदैव	नि.ख.-1 रायबरेली	जनपद रायबरेली में लल्लन की दुकान शेरदाजपुर (बेहीखोर ग्राम सभा) से खोर सम्पर्क मार्ग पर स्थित क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 2x5.00मी0 लघु सेतु का पुनर्निर्माण कार्य।	79/2026/आई/1264134/2026/23-6099/40/2026-दिनांक-12-03-2026	77.58 77.58 4.56 73.02	0.10	72.92	23.64	6.36	30.00
25	तदैव	नि.ख.-1 रायबरेली	जनपद रायबरेली में कल्याणपुर बैती से एकडला सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 में स्थित पुलिया के स्थान पर 1x6 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया का पुर्ननिर्माण कार्य।	83/2026/आई/1263772/2026/23-6099/69/2026-दिनांक-12-03-2026	57.92 57.92 1.69 56.23	0.10	56.13	11.82	3.18	15.00
कुल योग								**657.65**	**177.00**	**834.65**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। वर्तमान आबंटन के आधार पर लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 6,57,65,000 (रुपये छह करोड़ सत्तावन लाख पैंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,77,00,000 (रुपये एक करोड़ सतहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।